दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आ.प्र.अ.(मू.प.) 68/2024 एवं सि.वि.आ. 28175/2024, सि.वि.आ. 28176/2024

मीनाक्षी गुप्ता व अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री विल्स मैथ्यूज, श्री अनिल कुमार शुक्ला, सुश्री रश्मि साहू एवं श्री राघव अरोड़ा, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अनुपम श्रीवास्तव, अति.स्था.अधि., जीएनसीटीडी सह श्री दीपक जैन, अधिवक्ता श्री राजेश रंजन, श्री अट्टिन शंकर रस्तोगी, श्री शिवकांत अरोड़ा, श्री आदिल वासुदेव, श्री अमन कपूर तथा श्री कार्तिकेय दुमानी, प्र.-2 से प्र.-9 की ओर से अधिवक्तागण

निर्णय की तिथि: 13 मई, 2024

कोरम

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

श्री मनमोहन, का.मु.न्या. : (मौखिक)

1. वर्तमान अपील इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वसीयती वाद 20/2022 में पारित दिनांक 09 फरवरी, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत स्वर्गीय सुश्री सुशीला चौधरी की दिनांक 21 जून, 2017 की वसीयत का प्रोबेट पक्षकारों को प्रदान किया गया था, जबकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को सात हिस्सों में विभाजित करने का उद्देश्य है। अपीलार्थी प्रोबेट याचिका में प्रत्यर्थी सं. 4 एवं 5 हैं तथा वसीयतकर्ता की बहनें हैं।

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वसीयत को सभी पक्षकारों ने स्वीकार किया है तथा विवाद इसकी व्याख्या तक सीमित है। उन्होंने कहा कि आक्षेपित आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि लाभार्थियों की सूची में क्रम संख्या सात (7) है। उन्होंने बताया कि वसीयत में कोई क्रम संख्या सात (7) नहीं है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की केवल छह (6) श्रेणियां हैं, जिनमें से छठा वर्ग वसीयतकर्ता के भतीजे हैं। उनका तर्क है कि आक्षेपित आदेश

वसीयत अर्थ या अंतर्निहित आशय के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि आक्षेपित आदेश का प्रभाव वसीयत के तहत अपीलार्थीगण के हिस्से को कम करने का है।

3. चूंकि वसीयत की व्याख्या पर काफी बल दिया गया है, इसलिए वसीयत का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"(I) घर का पैसा निम्नलिखित सात व्यक्तियों के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।

1. औनिला शॉ - बहन

2. दीपा बेंज अमीन - सिस्टर

3. मीनाक्षी गुप्ता - बहन

4. कुसमंजली विल्सन - बहन

5. प्रेम पॉल चौधरी के - पोते-पोतियां

6. भतीजे - संजय चौधरी 2/3

संदीप चौधरी 1/3

समीर चौधरी 2/3,

आशिमा कुमार 1/3"

4. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वसीयत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विक्रय की आय सात (7) व्यक्तियों के बीच विभाजित की जाएगी। दूसरे, क्रम संख्या 6 के तहत वसीयत में भतीजे एवं भतीजी के पक्ष में वसीयत की गई है, जिसमें प्रत्येक भतीजे एवं भतीजी के हिस्से अलग-अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। भतीजे, श्री संजय चौधरी तथा श्री संदीप चौधरी, वसीयतकर्ता के मृतक भाई श्री सुदेश चौधरी के बच्चे हैं। श्री संजय एवं श्री संदीप एक ही पूर्वज से हैं तथा

एक ही परिवार का हिस्सा हैं। वसीयत में उनमें से प्रत्येक को क्रमशः 2/3 और 1/3 हिस्से का आवंटन उक्त दो भतीजों को आपस में एक (1) हिस्सा आवंटित करने का उद्देश्य है। इसी तरह, श्री समीर चौधरी तथा सुश्री आशिमा कुमार, श्री राजिंदर पाल चौधरी के बच्चे हैं, जो वसीयतकर्ता के मृतक भाई हैं और वसीयत में उनमें से प्रत्येक को क्रमशः 2/3 और 1/3 हिस्से का आवंटन भतीजे एवं भतीजी को आपस में एक (1) हिस्सा आवंटित करने हेतु किया गया है, क्योंकि वे भी एकल परिवार का हिस्सा हैं। परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश का तर्क कि वसीयत चार भतीजों तथा भतीजी के बीच केवल एक (1) हिस्सा विभाजित करने के किसी भी उद्देश्य को नहीं दिखाती या प्रतिबिंबित करती है, सही है।

5. तदनुसार, आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा अपील खारिज की जाती है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, न्या.

13 मई, 2024

एन. खन्ना

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*